


--3--

§ 18। चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§ 28। इसलिए मैंने अपनी इच्छा से करीब दो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइदा रहेगा ।

§ 38। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बेची जा रही जमीन मेरी खतियानी है, पिछले नाम में मोटा खड़िया वो परेम खड़िया पेशरान चुड़यू खड़िया वो कड़सु पाहन कन्द पउरा पाहन वो आनन्द मसीह खड़िया वो गवरैल खड़िया, पेशरान कैरा खड़िया के नाम से कायमी नाम हुआ था । खतियानी रैयतों की मृत्यु हो चुकी है । खतियानी रैयतों के बीच जमीन का बँटवारा पूर्व में ही हो गया है । कड़सु पाहन मेरे दादा थे । उनका एकमात्र पुत्र जुनाथान हुँगुंग थे । जुनाथान हुँगुंग मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का भी मृत्यु हो

12/10/29
26-8-29
15



-4-


युकी है, उनके तीन पुत्र थे, मैं तथा मेरा छोटा भाई प्यारा
 हुँहुँगा तथा जकरिप्स हुँहुँगा । मेरे पिताजी का जमीन
 उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ । मेरे तीनों भाईयों
 के बीच जमीन का बँटवारा मौखिक हो चुका है । बेची जा
 रही जमीन मेरे हिस्से वो दखल कब्जे की है ।

110
 26-3-79

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं
 अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता
 भूमि सुधार, सिम्डेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी
 अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद
 संख्या 10/2011-12 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 14.6.11 को
 प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 635१११ दिनांक 14.8.2011 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर कांविज वो
 दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का सम्पूर्ण अपने उपयोग में लावे
 वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिम्डेगा के कार्यालय
 से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से व अदाय
 मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला क्लामी सदा दिन के
 लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।



-5-

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

जोहर उठुंठा 26-6-99

26-6-99
27/6/11



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी अपने बाँचे हाथ के बाँचे अंगुलियों का निशान मेरे सामने दिया।
सामल दास अधिका
27/6/11

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदणी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सुकुलित अनिता कुमर
27-6-2011



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ने अपने बाँचे हाथ के बाँचे अंगुलियों का निशान मेरे सामने दी।
सामल दास अधिका
27/6/11

